International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 6.924 Volume 10, Issue 03, March 2023
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com

मानवाधिकार और भारतीय परिदृश्य

अंशु, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, हरियाणा, भारत

शोध सार

मानवाधिकारों की संकल्पना एक व्यापक जीवन–दर्शन पर आधारित संकल्पना है जिसके घेरे में समूचा जीवन और समाज व्यवस्था आ जाती है। ''मानवाधिकारों को समाज के सभी सदस्यों , विशेषकर सरकार और उसकी एजेंसियों के व्यवहार की उपब्धियों और सिध्दातों के मानक के तौर पर देखा जाता है। मानवाधिकारों को समाज की आधारशिला माना जाता है और यदि उसका अनुपालन न किया जाए तो समाज बिखर जाएगा। मानव जाति के सम्मान की रक्षा और उसके उन्नयन से ही समाज को बनाए रखा जा सकता है। मानवाधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते है। दूसरें शब्दों में कहे तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार है। मानवाधिकार का लक्ष्य समूची मानवता का हित करना है। मानवाधिकार का लक्ष्य समूची मानवता का हित करना है। मानवाधिकार ही अवधारणा यह कहती है कि यह नैसर्गिक अधिकार है। ये अधिकार व्यक्ति के पर्याप्त विकास और खुशहाली के लिए भी जरूरी है। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मानवोचित गुण होने के कारण प्राप्त हो जाते है। ये किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी देते है। भारत में पुरातन काल से ही मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। जैसे – वेद, पुराण, ग्रंथ, मनुस्मृति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा संविधान आदि सभी में मानवाधिकारों की बात भिन्न–भिन्न प्रसंगों में देखने को मिलती है।

© Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

1ण **मुख्य शब्द** – मानवाधिकार, मानवता, स्वतंत्रता, संघर्ष, भारतीय परिदृश्य, संविधान

2ण **शोध प्रविधि –** प्रस्तुत शोध हेतु स्त्रोत में शोधार्थी द्वारा पुस्तकालयों एवं इन्टरनेट पर उपलब्ध विषय से संबंधित पुस्तको, शोध आलेखों का प्रयोग किया गया है।

3ण **शोध उद्देश्य –**

भारतीय परिदृश्य में मानवाधिकार का अध्ययन करना।

मानव अधिकारों के समक्ष चुनौतियां।

मानवाधिकारों की परिकल्पना विगत शताब्दी के मध्य में विश्व समुदाय के समक्ष एक सर्वमान्य कसौटी के रूप में परिलक्षित हुई है। विश्व में प्राचीनकाल से ही किसी न किसी रूप में मानवाधिकार की अवधारणा ने अपना स्थान बना लिया था। हमारे देश का प्राचीन इतिहास मानव अधिकारों की अवधारणा का घोतक है। हमारे वेद, पुराण, स्मृतियां व अन्य धार्मिक एवं प्राचीन ग्रन्थ इसकी पुष्टि करते है। इसी पृष्ठभूमि में हमारी संस्कृति फली–फूली तथा विकसित हुई है। दूसरे शब्दों में कह सकते है कि हमारी संस्कृति मानव अधिकारों को केन्द्र में रखकर पुष्पित एवं पल्लवित हुई। भारत ही नहीं पश्चिमी देशों में भी मानवाधिकारों का इतिहास बहुत पुराना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की स्थापना का प्रथम दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र चार्टर को माना जाता है। लेकिन मूलधिकारों के रूप में इसका श्रेय 1215 मैगनाकार्टा को जाता है। 800 वर्ष पहले ब्रिटेन के इस महान घोषणा–पत्र में यह कहा गया कि किसी नागरिक को उस समय तक बंदी न बनाया जाए और न ही निर्वासित किया जाए, जब तक उसका अपराध सिध्द न हो जाए। इसके अलावा 1776 में अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता के संबंध में जारी किये गए घोषणा–पत्र में भी कहा गया था कि सभी व्यक्ति समान पैदा हुए है तथा सृष्टिकर्ता ने उन्हें जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख की प्राप्ति जैसे कुछ अदेय अधिकार प्रदान किये है। तत्पश्चात 1789 में फ्रांस द्वारा घोषित मानव और नागरिक अधिकारों के घोषणा–पत्र में बात कही गई थी। देशों ने अपने नागरिको को ये अधिकार एक व्यक्ति होने के नाते दिया था न कि एक राज्य होने के नाते। इस प्रकार मानव अधिकार की अवधारणा को विकास ऐतिहासिक क्रम में विभिन्न घोषणा–पत्रों औार अधिनियमों के द्वारा हुआ। संसार के सभी

कानून, नियम, संविधान, संस्कार एवं परम्पराएं मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये एवं उनके हनन को रोकने के लिये बनाये गये है। लेकिन द्वितीय विश्वयुध्द में हुए भयंकर नरसंहार के पश्चात् मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ (1945) की स्थापना की गई तथा घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया इसमें घोषणा की गई कि वे अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को युध्द के दुष्परिणामों से बचायेंगे, मूलभूत मानव अधिकारों में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे और व्यापक स्वतंत्रता के लिये एवं जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करेंगे। इसकी सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के बाद 1968 में तेहरान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करते हुए इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया तथा इसके बाद 1993 में वियना में एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें समूची दुनिया में मानव अधिकार को बढ़ावा देने एवं उन्हें संरक्षण देने संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिए गए।

इससे प्रभावित होकर भारत ने अपने संविधान में अनेक मानव व मौलिक अधिकारों को स्थान दिया। लेकिन भारतीय परंपरा में पुरातन काल से ही मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। 'वसुधैव–कुटुंबकम्' का सार्वभौमिक सिध्दांत हमारी संस्कृति का मूल रहा है, जिसमें न केवल देश, बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी प्राणियों को एक ही परिवार का सदस्य माना गया है। प्राचीन भारत में महाभारत के शान्ति पर्व में राजा के आचरण के बारे में कहा गया है। पर्व एक राजा के कर्त्तव्यों और उचित शासन के नियमों के बारे में बताता है तथा शांति पर्व का दावा है, सबसे अच्छा कानून वह है जो किसी विशिष्ट समूह को नुकसान पहुचाएं बिना सभी जीवित प्राणियों के कल्याण को बढ़ाता है।
कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण बताया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को उसके पूर्ण विकास में सहायता करना है। सम्राट अशोक ने कलिंग अभिलेख में प्रजा को संतान की तरह माना और अधिकारियों को जनता पर अत्याचार न करने का निर्देश दिया है। भारत में वैदिक काण्ड के धर्म में पाया जाता है कि –

''सर्वे भवन्तु सुरिवनः
सर्वे सन्तु निरामया''

अर्थात सब के सुख की कामना की गई है। गीता में भी मानवाधिकार का उल्लेख है – 'कर्मव्येवाधिकारस्ते' अर्थात जैसा कर्म कारोगे, वैसा ही फल प्राप्त होगा। अतः इससे भयभीत होकर लोग दूसरे के हितों को नष्ट नहीं करते थे, दूसरो के अधिकारों का हनन नहीं करते । मनुस्मृति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र का आदि सभी ग्रंथो में मानव अधिकारों की बात भिन्न–भिन्न प्रसंगों में देखने को मिलती है। भारत में मानव अधिकारों को आधुनिक रूप ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्राप्त हुआ। ब्रिटिश शासन ने भारत में विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रमो को चलाया तथा इन सुधार कार्यक्रमों से मानवाधिकार को बल मिला। जैसे– अधिनियम 1856 का हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, 1829 का बंगाल सती विनियमन अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत दासता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1860 की दंड सहिंता ने भ दासता के व्यापार को अवैध घोषित किया। 19 वीं सदी के भारतीय समाज में कन्या भ्रुण हत्या एक और अमानवीय प्रथा थी। 1795, 1802 और 1804 में और 1870 इस प्रथा के खिलाफ कुछ कानून बनाए गए थे। हालांकि केवल कानूनी उपायों के माध्यम से इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका। धीरे–धीरे शिक्षा और जनमत के माध्यम से इस कुप्रथा को दूर किया जाने लगा। भारतीय संविधान में नागरिकों की समानता, स्वत़ंत्रता एंव अधिकारों की रक्षा के लिए मूलाधिकारें की व्यवस्था की गई है। इसका मुख्य कारण है कि देश की जनता को विकास का समान अवसर मिल सके जिससे वे विश्व के बदलते परिवेश में अपने जीवन स्तर को उच्च से उच्चतम बना सके।

भारत में स्वतंत्रता संग्राम मानवाधिकारों के संघर्ष की गौरवमय कहानी है। वर्ष 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् मौलिक अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में अध्याय 3 में इसकी व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14–32) और नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 35–51) के द्वारा मानवाधिकार सवंध्दि सुरक्षा की गारंटी देता है।

1. भारतीय संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15 – धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 16 – लोक–नियोजन के विषय में अवसर की समानता।

अनुच्छेद 17 – अस्पृश्यता का उन्मूलन

अनुच्छेद 18 – उपाधियों का अंत

अनुच्छेद 19 – अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं

अनुच्छेद 20 – अपराधों के लिये दोषसिध्दि के संबंध में संरक्षण

अनुच्छेद 21 – प्राण व दैहित स्वतंत्रता का अधिकार। ''संविधान के 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21 के साथ एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21क से कहा गया है कि ''राज्य छः से चौदह वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे।''

अनुच्छेद 22 – कुछ दशाओं में गिरफतारी और निरोध से संरक्षण।

अनुच्छेद 23 – मानव के दुर्व्यपार और बलात् श्रम का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 24 – कारखानों आदि में बालको के नियोजन का प्रतिबंध।

अनुच्छेद 25–28 – धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 29–30– संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।

अनुच्छेद 31 – संपत्ति का अधिकार। ''44 वें संविधान संशोधन 1978'' के माध्यम से अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल कर और एक नया अनुच्छेद 300क बनाकर उसमें संपत्ति के अधिकर को एक विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया।

अनुच्छेद 32 – संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कई संविधान विदो की राय में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। डॉ. अंबेडकर, जिन्हें सम्मानवश 'भारतीय संविधान का निर्माता' कहा जाता है, ने इस अनुच्छेद का महत्व बताते हुए कहा है कि यह संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है।''

भारत सरकार द्वारा 1993 ई. में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में मानवाधिकर शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई– ''मानव अधिकार का तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में, सन्निहित व्यक्तियों को प्राण, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा में संबंधित ऐसे अधिकारों से है जो भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।'' इनके अलावा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। यह संविधान द्वारा दिये गये मानवाधिकारों जैसे – जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लघंन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यह मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। आयोग प्रकाशनों, मीडिया, समिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गो के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है।

भारत में मानवाधिकारों के सामने चुनौतियांः–

1. भारतीय कानून नारी को पूर्ण समानाधिकार प्रदान करते है किन्तु अधिकांश महिलाओं की स्थिति आज भी अत्यंत शोचनीय है। आज भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, छेड़–छाड बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, हत्या आदि के मामले प्रतिदिन प्रकाश में आते है।
2. बच्चे वास्तव में प्रत्येक देश/राष्ट्र की सबसे बहुमुल्य व महत्वपूर्ण धरोहर है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व के अधिकांश देशो में बच्चों की स्थिति अत्यंत शोचनीय बनी हुई है। क्योंकि अधिकांश बच्चे स्वयं असहाय शक्तिहीन होते या अन्य लोगों की भांति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, इसलिए वे अनेक प्रकार के अत्याचारों और शोषण का शिकार होते है। जिन बच्चों को विद्यालयों की कक्षाओं और खेल के मैदानों में होना चाहिए था, वे खेत, कारखानों, खदानों, भवन निर्माण कार्यो, ईट के भट्ठों में कार्य करते, ढाबों में बरतन मांजते दिखाई देते है।

3. दिव्यांग की समस्या सभ्यवतया इतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव सभ्यता। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रिय स्तर पर विकलांगो के कल्याण के अनेक प्रयास किए गए है। भारतीय संसद ने इस संबंध में अनेक कानून पास किए है। सरकार नौकरियों में दिव्यागों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका लाभ दिव्यागों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज भी इन्हें समाज में कम ही आंका जाता रहा है।
4. भारतीय समाज विभिन्न प्रकार के धर्मो, जातियों और वर्गो का विचित्र संगम है जिसमें अनेक सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक असमानताएं मौजूद है। परिणामस्वरूप सभी लोग एक समान अधिकार सम्पन्न व सुख–दुख के भागीदार नहीं है। आज भी समाज के अनुसूचित जातति व जनजाति के लोगों को अस्पृश्यता का शिकार बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत 'अस्पृश्यता का अंत' किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिध्द किया जाता है। सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गयी है। लेकिन इनके बावजूद भी अनुसूचित जातियों व जनजातियों की स्थिति शोचनीय है। अस्पृश्यता–निरोधी अपराध अधिनियम के बावजूद विशेष कर देहाती इलाकों में अपृश्यस्ता अभी भी जारी है।

भारत में मानवाधिकार की समस्या हेतु सुक्षावः

1. सबसे पहले कानूनों को सख्ती से लागू करके प्रत्येक व्यक्ति को इनके प्रति जाग रूक करना होगा। अधिकार लोगों को अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण जानकारी न होने के कारण उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है।
2. शिक्षा जीवन जीने का आधार है। शिक्षित व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने की शंका कम हो जाती है। लेकिन अशिक्षित लोगों में अधिकारों के प्रति जागरूक कम होते है। यही कारण है कि वह शोषण का शिकार होते है और अपने अधिकारों से वंचित हो जाते है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है।

3. समाज में सभी व्यक्ति व वर्ग के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का होना जरूरी है क्योकि आज भी महिलाएं व कमजोर वर्ग को समानाधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी वे शोषण का शिकार होते रहे है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य वर्गो आदि के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण लाना होगा तभी मानवाधिकार का हनन/उल्लघंन रोका जा सकता है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते है कि भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी ऐजेन्सियां मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रयास कर रहे है। प्रत्येक देश मानव अधिकार आयोग स्थापित कर रहा है। लेकिन केवल, योजना, आयोगो द्वारा ही मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं हो पायेगा, लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा। इसके अलावा समाजोपयोगी कार्यो का भी प्रशिक्षण देकर धरातल स्तर पर बाल श्रमिकों गरीब व महिलाओं को भी जाग्रत किया जा सकता है। आज मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायिक सक्रियता, कुशल एवं पारदर्शी प्रशासन शिक्षा प्रसार, जागरूकता, निष्पक्षता आदि को बढ़ावा देना होगा। ताकि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए किये गये प्रयास सफल हो सकें।

संदर्भ सूची

1. वर्मा डॉ. सरोज कुमार, 'मानव अधिकार व भूमंडलीकरण : अंतर्सम्बन्ध की प्रासंगिक पडताल' पृ. सं 73, 2011, नई दिल्ली।
2. ॄण्कतर्पीजपपेंण्पद `ममद वद 07 श्रंदए 2023
3. खुशबू कुमारी, 'महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता', बिहार, 2020।
4. प्रो. एच. सुवदनी देवी, 'मानव अधिकार की अवधारणा', 88, मानव अधिकार संचयिका, 2014, नई दिल्ली।
5. प्रा. अल्पना वैद्य, 'वैश्वीकरण की तपिश और मानवाधिकार हनन' नागपुर, पृ.सं. 44–45
6. डॉ अल्पना पारीक, 'भारतीय एंव राजव्यवस्था', राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली।
7. मैनावत डॉ. बी.एल., 'मानव अधिकार एवं बदलता सामाजिक परिदृश्य' वैश्वीकरण एंव मानव अधिकार, पृ.सं. 110, शोध मंथन, 2017

8. पटेल डॉ भारत आर., 'भारतीय मानवाधिकार एवं समाज', पेराडाइज पब्लिशर्म, जयपुर, 2019
9. सैनी डॉ. राम सिंह, 'समकालीन परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों के विविध आयाम', गगनदीप पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2007